

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jurg_gwa@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/ 4003

दिनांक : 04/11/11

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 21 सितम्बर 2011 के पद क्रमांक (07) के निर्णयानुसार श्री वर्धमान कन्या महाविद्यालय, अशोकनगर को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. (हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, आ.पा.), एम.ए. (हिन्दी) पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-


1. महाविद्यालय द्वारा पूर्व में लगाई गई शर्तों का पालन किया जाये।
2. जिन विषयों के शिक्षक नहीं हैं, उन विषयों के शिक्षकों को नियुक्त किया जाये अथवा वैकल्पिक व्यवस्था की जावे।
3. भवन की पर्याप्त व्यवस्था करें।
4. रु. 50,000/- की पुस्तकें क्रय की जावें।
5. कॉलेज कोड का पालन करें।
6. उपरोक्त शर्तों को पूरा करने हेतु 6 माह का समय दिया (छात्रों के हित में) जाकर अस्थायी सम्बद्धता दी जा सकती है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, श्री वर्धमान कन्या महाविद्यालय, अशोकनगर
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


सहा.-कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jurcg_gwla_rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/ 41002

दिनांक : 04/11/11

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 21 सितम्बर 2011 के पद क्रमांक (07) के निर्णयानुसार श्री वर्धमान कन्या महाविद्यालय, अशोकनगर को सत्र 2009-10 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. (हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, आ.पा.), एम.ए. (हिन्दी) पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तों/प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय पूर्व में लगाई गई सभी शर्तों का पालन करें।
2. जिन विषयों के शिक्षक नहीं हैं उनमें नियुक्तियां करे या वैकल्पिक व्यवस्था करे।
3. पुस्तकालय में 50,000/- की पुस्तकें क्रय करे।
4. भवन की पर्याप्त व्यवस्था करे।
5. कॉलेज कोड का पालन करे।
6. छात्रहित में महाविद्यालय को उक्त शर्त पूर्ति का 6 माह का समय देकर अस्थाई सम्बद्धता दी जाये।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, श्री वर्धमान कन्या महाविद्यालय, अशोकनगर
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहा.-कुलसचिव (सम्बद्धता)